झारखण्ड लोक सेवा आयोग,
सर्कुलर रोड, रांची–834001

प्रेस विज्ञप्ति

सिविल जज (जूनियर डिवीजन) सीधी एवं विशेष भर्त्ती प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या–10/2015 एवं 11/2015) के वैसे अभ्यर्थी जो कि सूढ़ी (सूड़ी/सूंडी) जाति के हैं, को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–5137 दिनांक–20.06.2016 के द्वारा सूढ़ी जाति को पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूचि–II) से विलोपित कर राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) में सम्मिलित किया गया है तथा आरक्षण का लाभ दिनांक–18.12.2015 से अनुमान्य होगा।

अतः उक्त जाति के संबंधित अभ्यर्थी विहित प्रपत्र में अत्यंत पिछड़े वर्ग की सूची (अनुसूची–I) के जाति प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति एक सील बंद लिफाफे में आयोग कार्यालय के पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट अथवा हाथों–हाथ के माध्यम से ही **दिनांक–16.08.2016 के 05:00 बजे अपराह्न** तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। सभी अभ्यर्थी लिफाफे के ऊपरी भाग पर अपना नाम, अनुक्रमांक एवं संबंधित विज्ञापन संख्या सुस्पष्ट अक्षरों में अनिवार्य रूप से लिखेंगे अन्यथा उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

2. यह प्रेस विज्ञप्ति आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

ह0/–
सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची